

9/2  
27

पत्राकली पेश) आदि. उपपक्ष हाजिर / आदि. प्राची  
 कक्ष हाजिर / कक्ष अधिकारी प्राची (उपपक्ष)  
 आस्पेक्ट निषेधाज्ञा के बिन्दु पर (पुनी) कक्ष पर  
 मनन किया गया एवं पत्राकली पर उपपक्ष  
 द्वारा केजों का अन्तर्लोकन किया गया / अन्तर्लोकन  
 करने पर साधा गया कि विवाहिक भूमि प्राची तथा  
 भूमि (न. 1.1.13 के सिद्ध) मूल्य मात्र 5  
 हजारों की भूमि है / अप्राची गण विवाहिक  
 भूमि को किना करवा करवाये ही विरथमाना  
 पाये है / सिद्ध खसारी की भूमि पर प्रत्येक  
 इंच पर प्रत्येक खसारी का एक व हिस्सा होता है /  
 किना अधिक करवा करवाये जाने पर प्राची के  
 लिए प्रमाणित हो लगे है / अतः अप्राची गण को  
 विवाहिक भूमि के तौराने कर रिपोर्ट के विषय  
 में परिवर्तन नहीं करे बाकर पाकनद किया  
 जाना उचित है / अतः धर्मना पत्र प्राची को  
 खीका किया जा रहा है तथा अप्राची गण को  
 धर्म आस्पेक्ट निषेधाज्ञा से अन्तर्लोकन रूप से  
 पाक-3 किया जा रहा है कि के विवाहिक भूमि  
 5.262 रकबा 2.10 ई.म. के समान  
 मलकेडा परवार एल्का मलकेडा तहसील  
 व जिला श्रीर की भूमि पर (न. 1.1.13) पर  
 रिपोर्ट की प्रथा विधि बनाये रखे / अतः (खसारी  
 ओश) शक्ति प्रधार, चालू / प्रचालित रास्ता  
 को नहन जारी पर लागू नहीं होगा / पत्राकली  
 संलग्न भूमि (धर्म) नमो से 5 म. घं, धारित  
 रकबा है / निर्णय आज में दस्तावेज से  
 लिया गया

अखण्ड अधिकारी, सीकर

रा. 6  
 गा.  
 खारी